प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 27 मई, 2015**

विषय- वेतन समिति (2008) द्वारा ग्यारहवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय को छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (परिवर्तित नाम के0जी0एम0यू0, लखनऊ) के लिपिकीय संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 24.09.2014 में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति (2008) के ग्यारहवें प्रतिवेदन में छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (परिवर्तित नाम के0जी0एम0यू0, लखनऊ) के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय सम्बन्धी शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-664/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 26.09.2013 के कार्यान्वयन में, वेतन समिति (2008) द्वारा राजकीय विभागों के सचिवालय से इतर लिपिकीय संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2053/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 08.09.2010 एवं शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-401/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 18.03.2011 तथा शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2105/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 22.12.2011 के क्रम में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के लिपिकीय संवर्ग में उपलब्ध विभिन्न पदों को पुनर्गठित करते हुए शासनादेश संख्या-1724/71-2-2014-के0जी0एम0यू0-76/2014, दिनांक 24 सितम्बर, 2014 निर्गत किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-1724/71-2-2014-के0जी0एम0यू0-76/2014, दिनांक 24 सितम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लिपिक संवर्ग के पदों के पुनर्गठन हेतु वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-44/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 17.01.2014 एवं शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-47/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 20.01.2014 में लिये गये निर्णय को शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-664/दस-54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 26.09.2013 में लिये गये निर्णयों, जिसमें छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ (परिवर्तित नाम के0जी0एम0यू0, लखनऊ) के सामान्य कोटि के विभिन्न पदों/संवर्गो के सम्बन्ध में लागू व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्था निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है, के क्रम में राज्यपाल महादेय के0जी0एम0यू0 लखनऊ के लिपिक संवर्ग के पदों पर लागू करने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-131/दस-2015, दिनांक 13.05.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
उप सचिव।

संख्या-51/2015/1880(1)/71-2-15-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (वेतन आयोग) अनु0-1/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2।
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(ऋषिकेश दुबे)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।